

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/प्रो.-05-05/12 ----- / रॉची, दिनांक : ----- /

—: आदेश :—

वित्त विभाग की संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 22.03.2013 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंताओं को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान PB-III एवं ग्रेड पे रू. 7600 में औपबधिक रूप से स्वीकृत किया जाता है —

क्र.सं.	कनीय अभियंता का नाम/पदस्थापन का स्थान/ गृह जिला/आई.डी. कोड/ जन्मतिथि	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री दिनेश्वर महतो सेवानिवृत्त सहायक अभियंता कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर/जे 3189 गिरिडीह/ 20.10.48	30.04.73	01.09.08	
2.	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियंता/ यॉत्रिक/ कोनार नहर प्रमंडल बगोदर/रोहतास/एम 455/02.05.50	04.04.79	04.04.09	
3.	श्री फेकन साह सेवानिवृत्त कनीय अभियंता /सिंचाई प्रमंडल सं.-02 जामताड़ा/ मधेपुरा/ जे 4021/02.11.50	19.12.74	01.09.08	

(ख) उपर्युक्त औपबधिक रूप से स्वीकृत लाभ की सम्पुष्टि हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा एक माह के अन्दर निश्चित रूप से प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

(ग) उपर्युक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में अगर कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा मंत्रिमंडल निगरानी या किसी अन्य स्रोत से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो स्वीकृत लाभ को रद्द/ संशोधित कर भुगतान की गई राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जाएगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

(घ) स्वीकृति आदेश पर अभियंता प्रमुख-01, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

२१-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ राज्य के सभी उपायुक्त/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ संबंधित सभी मुख्य अभियंता(लघु सिंचाई सहित)/ विभागान्तर्गत सभी संयुक्त सचिव/ संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/ संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित सभी कनीय अभियंता/ बायोडाटा कोषांग/ प्रशाखा-01, 02 एवं 03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित/प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :-

1592

रॉची, दिनांक :-

25-3-13

प्रतिलिपि:- वेब मैनेजर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)।